

भारत सरकार  
पत्तन,पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय  
दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय  
“दीपभवन”, गांधीनगर  
कडवंत्रा डाक, कोचीन – 682 020



Government of India  
Ministry of Ports, Shipping and Waterways  
**DIRECTORATE OF  
LIGHTHOUSES & LIGHTSHIPS**  
“Deep Bhavan”, Gandhinagar  
Kadavanthra P.O., Cochin – 682 020

दूरभाष/Tel :0484-2205720

फैक्स/Fax:0484-2206608

ईमेल/email: dte-koc@gov.in

MS-Coc-04002/1/2019-MS

दिनांक/ date: 10.04.2026

### कोटेशन आमंत्रण सूचना / NOTICE INVITING QUOTATION

भारत के राष्ट्रपति की ओर से और उनकी ओर से, निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीन – 20, 'शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट' के तहत पंजीकृत प्रतिष्ठित फर्मों से, तिरुवनंतपुरम जिले के विझिंजम दीपस्तंभ में कैफेटेरिया के संचालन और रखरखाव के लिए सीलबंद कोटेशन आमंत्रित करते हैं। यह अनुबंध एक वर्ष के लिए होगा, और यदि ठेकेदार का प्रदर्शन संतोषजनक रहता है, तो इसे अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।/For & on behalf of the President of India, The Director of Lighthouses and Lightships, Deep Bhavan, Cochin – 20 invites sealed quotations from reputed firms registered under shop and establishment act, for the operation and maintenance of cafeteria at Vizhinjam Lighthouse, Thiruvananthapuram district for one year and likely to be extended for next two years on satisfying performance of contractor :

क्रम सं. SL. No.	विषय/Subject	विवरण / Description
1	कार्य का नाम / Name of Work	विझिंजम दीपस्तंभ में कैफेटेरिया का संचालन और रखरखाव/ <b>Operation and maintenance of Cafeteria at Vizhinjam Lighthouse</b>
2	स्थान / Location	विझिंजम दीपस्तंभ, तिरुवनंतपुरम जिले Vizhinjam Lighthouse, Thiruvananthapuram (Dist), Pin code: 695521.
3	बयाना राशि / Earnest Money Deposit (EMD)	<b>₹ 10,000/-</b>
4	कोटेशन के डाउनलोड की अवधि / Period of Download of Quotation	13.04.2026 (0900 hours) to 27.04.2026 (1200 hours)
5	कोटेशन प्रस्तुत करने की अवधि / Quotation Submission Period	13.04.2026 (1200 hours) to 28.04.2026 (1200 hours)
6	कोटेशन के खोलने की तिथि / Date of Opening of Quotation.	29.04.2026 (1400 hours)

- 1) कोटेशन आमंत्रित करने वाला नोटिस दस्तावेज सेंट्रल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल (CPPP) की वेबसाइट <http://eprocure.gov.in/epublish> और DGLL की वेबसाइट [www.dgll.nic.in](http://www.dgll.nic.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है।/The notice inviting quotation document can also be downloaded from website Central Public Procurement Portal(CPPP), <http://eprocure.gov.in/epublish> and DGLL website [www.dgll.nic.in](http://www.dgll.nic.in).
- 2) बोली लगाने वालों को EMD (वापसी योग्य) किसी भी अनुसूचित बैंक से डिमांड ड्राफ्ट/फिक्स्ड डिपॉजिट रसीद (मूल रूप में) के रूप में जमा करना आवश्यक है, जो "निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीन" के पक्ष में जारी किया गया हो और जिसका भुगतान एर्णाकुलम में किया जा सके।/ Bidders are required to submit the EMD (refundable) in the form of Demand Draft/Fixed Deposit Receipt (in original) from any scheduled banks, drawn in favour of "Director, Lighthouses and Lightships, Cochin", Payable at Ernakulam.
- 3) आवश्यक EMD के साथ सीलबंद कोटेशन, कोटेशन जमा करने की अंतिम तिथि तक या उससे पहले, निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीन - 20 को जमा किए जाने चाहिए; ऐसा न करने पर कोटेशन रद्द किया जा सकता है। डाक/कूरियर सेवाओं के माध्यम से परिवहन के दौरान होने वाली किसी भी देरी या नुकसान के लिए निदेशक जिम्मेदार नहीं होंगे।/Sealed Quotations with requisite EMD shall be submitted to the Director, Directorate of Lighthouses and Lightships, Cochin - 20 on or before the last day of quotation submission of quotation failing which the quotation shall be liable to be rejected. Director shall not be responsible for any delay or loss, due to postal/Courier Services in transit
- 4) NSIC/MSME में पंजीकृत फर्मों को वैध प्रमाण पत्र जमा करने पर EMD के भुगतान से छूट दी जा सकती है।/ NSIC/MSME registered firms may be exemption from paying EMD on submission of valid certificates.
- 5) बोली लगाने वाला राशि को शब्दों और अंकों, दोनों में लिखेगा। यदि अंकों में दी गई राशि और शब्दों में लिखी गई राशि के बीच कोई अंतर होता है, तो केवल शब्दों में लिखी गई दर को ही मान्य माना जाएगा और रिकॉर्ड में स्वीकार किया जाएगा।/The bidder shall quote the amount, both in words and in figures. If there is any difference between the amount given in figures and that of in words, the rate quoted in words alone shall be taken in to account and accepted on record.
- 6) सफल बोलीदाता का चयन, बोलीदाता द्वारा तीन अवधियों के लिए उद्धृत की गई उच्चतम राशि के आधार पर किया जाएगा।/The successful bidder shall be decided on the basis of highest amount quoted by the bidder for three tenure.
- 7) दरें संलग्न अनुसूची में दी जानी चाहिए, जिसे 'Annexure-I' के रूप में चिह्नित किया गया है। किसी अन्य रूप में दी गई दरें स्वीकार नहीं की जाएंगी।/The rate shall be quoted in the enclosed schedule marked as Annexure-I. Rates quoted in other form shall not be accepted.
- 8) सफल बोली लगाने वाले को 'लेटर ऑफ इंटेंट' (आशय पत्र) के माध्यम से सूचित किया जाएगा। तदनुसार, सफल बोली लगाने वाले को 27,000/- रुपये की 'परफॉर्मंस गारंटी' (निष्पादन गारंटी) जमा करनी होगी। यह गारंटी पूरी अनुबंध अवधि के दौरान वैध रहेगी। पहले 11 महीनों के लिए लाइसेंस शुल्क जमा करने के बाद, 'वर्क ऑर्डर' (कार्य आदेश) जारी किया जाएगा। अनुबंध का संतोषजनक निष्पादन होने के बाद, परफॉर्मंस गारंटी जारी कर दी जाएगी।/Successful bidder shall be intimated by letter of intent. Accordingly successful bidder has to submit Performance Guarantee of Rs.27,000/-. It will be remained valid for entire contract period. After submission of License fee for first 11-month, work order shall be issued. The performance guarantee be released after satisfactory performance of contract.

  
निदेशक / DIRECTOR

तिरुवनंतपुरम जिले के विझिंजम दीपस्तंभ में कैफेटेरिया के संचालन के लिए सामान्य नियम और शर्तें /GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE OPERATION OF CAFETERIA AT VIZHINJAM LIGHTHOUSE THIRUVANATHAPURAM DISTRICT.

1. यह अनुबंध ग्यारह महीनों की अवधि के लिए आमंत्रित किया गया है, और अनुबंध के पहले वर्ष के प्रदर्शन के आधार पर इसे अगले दो वर्षों के लिए बढ़ाए जाने की संभावना है।/The contract is invited for a period of Eleven months and likely to be extended for another two years based on performance of the first year of contract.
2. ठेकेदार को किए जाने वाले कार्य की प्रकृति, उसके दायरे और अनुबंध की शर्तों के संबंध में स्वयं को संतुष्ट कर लेना चाहिए।/The contractor shall satisfy himself in regard to the nature of work to be done, its scope and the conditions of contract.
3. कैफेटेरिया चलाने के लिए लाइसेंस शुल्क की न्यूनतम आरक्षित कीमत, पहली अवधि के लिए, **2,97,000** रुपये है। बोली लगाने वालों को निर्धारित आरक्षित कीमतों से अधिक बोली लगानी होगी।/ **The minimum reserve price of licence fee for operating cafeteria is Rs 2,97,000/- (first tenure). Bidders have to quote above the said reserve prices.**
4. यह अनुबंध ग्यारह महीने की अवधि के लिए आमंत्रित किया गया है, और पिछले अनुबंध के 11 महीनों के प्रदर्शन के आधार पर इसे 11 महीने की दूसरी अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है। बोली लगाने वाले को आधार वर्ष (पहली अवधि) से कम से कम 5% की वृद्धि के साथ दरें बतानी होंगी; ऐसा न करने पर बोली को अस्वीकृत माना जाएगा।/The contract is invited for a period of Eleven months and may be extended for another second tenure of 11-month period based on performance of 11 months of earlier contract. The bidder shall quote rates with at least 5% increment from the base year( 1<sup>st</sup> tenure) failing which bid shall be considered rejected.
5. इच्छुक बोलीदाता **13.04.2026** से, सभी कार्य दिवसों पर 10:00 बजे से 16:00 बजे के बीच साइट का निरीक्षण कर सकते हैं। बोली लगाने से पहले, किसी भी प्रश्न के लिए कृपया इस कार्यालय से फ़ोन नंबर 0484-2205720 पर संपर्क करें। एक बार बोली जमा हो जाने के बाद, किसी भी प्रकार के संवाद पर विचार नहीं किया जाएगा। बोली जमा करने की अंतिम तिथि और समय के बाद निरीक्षण के लिए किए गए किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।/The interested bidders may inspect the site from **13.04.2026 onwards** between 1000 hrs to 1600 hrs on all working days. Before quoting for any queries please contact this office on phone No. 0484-2205720. No communication what so ever shall be they may entertain once the bid has been submitted. No request for inspection after last date & time of submission of bids shall be accepted.
6. संलग्न अनुसूची में प्रस्तुत वह प्रस्ताव, जो निर्धारित तिथि और समय तक या उससे पहले प्राप्त हो जाए और जिसके साथ आवश्यक 'अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट' (Earnest Money Deposit) की राशि भी संलग्न हो, केवल उसी पर विचार किया जाएगा। /The offer submitted in enclosed schedule received on or before due date and time and accompanied by the required amount of Earnest Money Deposit shall only be considered.
7. बोली फ़ॉर्म के साथ, निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीन के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट के रूप में बयाना राशि (earnest money) जमा करनी होगी। असफल बोली लगाने वाले की बयाना राशि, सफल बोली लगाने वाले को ठेका दिए जाने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लौटा दी जाएगी। यह EMD (बयाना राशि) जमा करने की अंतिम तिथि से कम से कम 03 महीने तक वैध रहेगी।/The bid form shall accompany the **earnest money deposit** in the form of demand draft in favour of the **The Director, Directorate of Lighthouses & Lightships, Cochin**. The earnest money of the unsuccessful bidder shall be returned after finalization of the award to successful bidder. The EMD shall be valid for at least **03 months** from last date of submission.

8. यदि सीलबंद बोलियों को खोलने के लिए निर्धारित दिन, किसी भी कारणवश अवकाश घोषित कर दिया जाता है, तो उन्हें अगले तत्काल कार्य दिवस पर 15:00 बजे खोला जाएगा।/The scheduled day for opening the sealed bids, if declared to be holiday due to any reason, the same shall be opened on next immediate working day at 1500 hrs.
9. बोली लगाने वाले संबंधित सामान की खरीद के लिए राशि शब्दों और अंकों, दोनों में अंकित करेंगे; यदि अंकों में दी गई राशि और शब्दों में दी गई राशि के बीच कोई अंतर होता है, तो केवल शब्दों में अंकित दर को ही ध्यान में रखा जाएगा और रिकॉर्ड पर स्वीकार किया जाएगा।/The bidders shall quote the amount for purchase of the subject stores both in words and in figures, if there is any difference between the amounts given in figures and that of in words, the rate quoted in words alone shall be taken in to account and accepted on record.
10. यदि, किसी भी कारणवश, सबसे अधिक बोली लगाने वाला व्यक्ति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करता है अथवा बोली प्रक्रिया से पीछे हट जाता है, तो ऐसे बोलीदाता द्वारा जमा की गई EMD जब्त कर ली जाएगी।/If, the highest bidder does not accept the offer for any reason whatsoever or withdraws from the bidding, the EMD deposited by such bidder shall be forfeited.
11. कैफेटेरिया के लिए उपलब्ध कराई गई बुनियादी सुविधाओं को अच्छी हालत में बनाए रखा जाना चाहिए। अनुबंध की अवधि के दौरान होने वाली किसी भी क्षति को किसी अनुमोदित एजेंसी द्वारा ठीक करवाया जाएगा, और इसका खर्च ठेकेदार से वसूला जाएगा।/The basic infrastructure for cafeteria provided should be maintained in good condition. any damages created during the period of contract shall be got it rectified by the approved agency and the expense shall be booked from the contractor.
12. बुनियादी ढांचे में अतिरिक्त विकास की अनुमति केवल तभी दी जाएगी, यदि यह आवश्यक हो, और वह भी कैफेटेरिया के आंतरिक क्षेत्र में—इस शर्त के साथ कि इससे भवन की मौजूदा आंतरिक या बाहरी बनावट पर कोई प्रभाव न पड़े।/Additional developments to the infrastructure are allowed only-if necessary, in the internal area of the cafeteria without affecting the existing internal/external appearance of the building.
13. कैफेटेरिया सोमवार को छोड़कर हर दिन 10:00 बजे से 19:00 बजे तक खुला रहेगा।/The cafeteria shall be opened from 10.00 Hrs to 19.00 Hrs on every day except Monday.
14. ठेकेदार को स्वयं ही दीपस्तंभ परिसर में कैफेटेरिया के संचालन के लिए आवश्यक कोई भी वैधानिक लाइसेंस/पंजीकरण प्राप्त करना होगा।/The contractor himself has to take any statutory License/registration what so ever requited for the operation of the cafeteria in the Lighthouse premises.
15. रेफ्रिजरेटर, इंस्टेंट टी-कॉफी मेकर, मिक्सर आदि के उपयोग के लिए बिजली की आपूर्ति उपलब्ध कराई जाएगी। हालाँकि, बिजली का खर्च हर महीने कैफेटेरिया ऑपरेटर द्वारा वहन किया जाएगा। /Power supply shall be provided for the use of refrigerator/ instant tea- coffee maker/mixer etc. However, the electricity charges and for meter shall be borne by the cafeteria operator on each month.
16. बिजली की खपत के लिए एक अलग सब-मीटर लगाया जाएगा, और इसका भुगतान ठेकेदार द्वारा हर महीने की 5 तारीख को या उससे पहले किया जाना होगा।/A separate sub meter shall be installed for the electric consumption and the payment has to be paid on or before 5th of every month by the contractor.
17. पानी का कनेक्शन उपलब्ध स्रोत से, उसकी उपलब्धता के आधार पर दिया जाएगा; हालाँकि, किसी भी अतिरिक्त आवश्यकता की व्यवस्था ठेकेदार को अपने खर्च पर करनी होगी, और सफल बोलीदाता को समय-समय पर पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करनी होगी। कैफेटेरिया शुरू करने से पहले, ठेकेदार द्वारा पानी को फ़िल्टर करने की व्यवस्था की जाएगी।/Water connection shall be provided from the available source based on the availability;

however, any additional requirement should be arranged by the contractor at his own cost and the successful bidder should ensure the quality of water from time to time. Arrangements for filtering water shall be done by the contractor before starts running the cafeteria.

18. कैफ़ेटेरिया में काम करने की अनुमति अधिकतम 4 (चार) व्यक्तियों को ही है, बशर्ते उन्होंने उचित पोशाक पहनी हो और उनके पास पहचान पत्र हो; साथ ही, उन्हें प्रतिदिन 19:15 बजे या उससे पहले, सभी सोर्सिंग क्षेत्रों की सफ़ाई करने के उपरांत, दीपस्तंभ परिसर छोड़ देना चाहिए।/The maximum person permitted to work in the cafeteria is 4(four) only with proper dress and identity card and they should leave the lighthouse premises on or before 19.15 hrs every day after clearing of all sourcing area.
19. ठेकेदार अपने खाने-पीने का सामान कैफ़ेटेरिया में ताले की व्यवस्था के साथ सुरक्षित रखेगा, और विभाग बिजली के सामान, फर्नीचर आदि किसी भी वस्तु की चोरी, नुकसान या क्षति के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।/The contractor shall keep his eatables safely with locking arrangements at cafeteria and department shall not be responsible for any theft/loss or damage of any electrical and furniture etc. items.
20. ठेकेदार को उत्पाद पर अंकित/मुद्रित दर के अनुसार, अच्छी गुणवत्ता और उचित मात्रा में विशिष्ट वस्तुएँ उपलब्ध करानी होंगी। किसी भी परिस्थिति में, कैफ़ेटेरिया में किसी भी वस्तु को उसके MRP से अधिक मूल्य पर बेचना पूर्णतः वर्जित है।/The contractor shall provide specific items with good quality and quantity as per the rate provided/printed on the product. At any circumstance selling the item more than the MRP is not allowed in the cafeteria.
21. चाय, कॉफी, स्नैक्स आदि जैसी चीज़ें अच्छी गुणवत्ता की होनी चाहिए और उन्हें पर्यावरण-अनुकूल बर्तनों में परोसा जाना चाहिए।/The items like tea/coffee/ snacks etc shall be of good quality and to be served in eco-friendly containers.
22. कैफ़ेटेरिया के संचालन के लिए, संबंधित प्राधिकारी से वैध लाइसेंस/परमिट प्राप्त किया जाएगा।/For operation of cafeteria, valid license /permit shall be obtained from concerned authority.
23. कैफ़ेटेरिया में उपस्थित रहते समय कर्मचारियों को मादक पेय पदार्थों का सेवन, धूम्रपान या पान मसाला आदि नहीं चबाना चाहिए।/The staff should not consume alcoholic beverages/smoke cigarettes/ chew pan masala etc. while present at the Cafeteria.
24. वैधानिक प्राधिकरण द्वारा प्रतिबंधित वस्तुएँ कैफ़ेटेरिया में नहीं बेची जानी चाहिए।/ Items banned by the statutory authority should not be sold at cafeteria.
25. अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित सिगरेट, पान, पान मसाला, शराब या कोई भी नशीला पदार्थ कैफ़ेटेरिया में या स्टेशन परिसर के भीतर नहीं बेचा जाना चाहिए।/Cigarette/ Pan /Pan Masala/ Alcoholic/any toxic etc banned by authorities should not be sold at cafeteria /within station premises.
26. कटलेट, वड़ा और समोसा जैसी चीज़ों को साफ-सफ़ाई से रखना चाहिए और जिस दिन उन्हें बनाया जाए, उसी दिन बेच देना चाहिए; उन्हें अगले दिन के लिए बचाकर नहीं रखना चाहिए। बासी खाना बेचना मना है।/Items such as cutlet/vada/samosa should be stored hygienically and sold on the same day of preparation itself and should not be stored & sold on next day stale food items are not permitted for sale.
27. परिसर के अंदर खाना पकाने की अनुमति नहीं है; हालाँकि, ताज़े स्नैक्स आदि को गर्म करने के लिए माइक्रोवेव ओवन और बिजली के उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है।/Cooking activities are not permitted inside the premises however microwave oven and electrical appliances can be used for heating of fresh snacks etc.

28. ठेकेदार कैफेटेरिया में बेची गई प्रत्येक वस्तु के लिए निर्धारित प्रारूप में बिल जारी करेगा।/The contractor shall issue bills for each item sold at cafeteria in the prescribed format.
29. अग्निशामक यंत्र ठेकेदार द्वारा लगाया जाना चाहिए।/Fire extinguisher, should be installed by contractor.
30. ठेकेदार को सभी नियमों और विनियमों, उप-नियमों, तथा केंद्र और राज्य सरकार, स्थानीय और अन्य प्राधिकारियों द्वारा समय-समय पर जारी किए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए; साथ ही, कैफेटेरिया चलाने और कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए, यदि आवश्यक हो, तो ज़रूरी लाइसेंस भी प्राप्त करने चाहिए। / The Contractor should strictly observe all the rules and regulations, Bye-laws and also directions issued from time to time by the Central and State Government, local and other authorities and obtain necessary licenses, if any required, for running the cafeteria and engaging workers.
31. यह कॉन्ट्रैक्ट भारत के कानून के तहत होगा। इस कॉन्ट्रैक्ट से जुड़े या इससे संबंधित मुकदमे और दूसरी कानूनी कार्यवाही सिर्फ़ एर्नाकुलम/कोचीन की अदालतों में ही शुरू की जाएंगी।/The contract shall be governed by the law of the India. Lawsuits and other proceedings arising out of or in connection with the contract shall be instituted in Courts of law at Ernakulam/Cochin only.
32. कोविड प्रोटोकॉल का पालन सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार किया जाना चाहिए। /Covid protocol should be followed as per the Govt. guide lines.
33. लाइटहाउस परिसर को 'प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र' घोषित किया गया है; अतः खाली बोतलें, प्लास्टिक के कवर आदि का निपटान ठेकेदार द्वारा प्रचलित नगरपालिका/निगम नियमों के अनुसार प्रतिदिन किया जाना चाहिए। /Lighthouse premises are declared as plastic free zone, as such empty bottles, plastic covers etc. should be disposed of by contractor on daily basis as per the prevailing municipal / corporation rules.
34. ठेकेदार, तीन साल की अनुबंध राशि के बराबर 'परफॉर्मंस गारंटी' (निष्पादन गारंटी) जमा करने के बाद, निदेशालय के साथ उचित स्टाम्प पेपर पर एक समझौता करेगा; यह गारंटी अनुबंध की अवधि सफलतापूर्वक पूरी होने पर जारी कर दी जाएगी। ठेकेदार, प्रत्येक कार्यकाल के लिए लाइसेंस शुल्क अग्रिम रूप से, 'निदेशक, दीपस्तंभ और लाइटशिप, कोचीन' के पक्ष में जारी किए गए और एर्नाकुलम में देय 'डिमांड ड्राफ्ट' के रूप में जमा करेगा। भुगतान की कट-ऑफ तिथि, समझौते पर हस्ताक्षर करने की तिथि मानी जाएगी।/The contractor shall execute an agreement with the Directorate on appropriate stamp paper after remitting a Performance Guarantee of the contract amount of three tenure and which shall be released on successful completion of the contract period. The contractor shall remit the license fee for every tenure in advance in the form of demand draft drawn in favour of the form of demand draft drawn in favour of the Director of Lighthouses and Lightships, Cochin payable at Ernakulam. The cut-off date of payment shall be the date of execution of agreement.
35. ठेकेदार द्वारा तैनात किए गए व्यक्ति काम के घंटों के दौरान पूरे समय वर्दी में रहेंगे, और उस वर्दी का पैटर्न निदेशक या उनके अधिकृत प्रतिनिधि से अनुमोदित करवाया जाएगा।/The persons deployed by the contractor shall be in uniform throughout working hours & the pattern of the same should be got is approved by the Director or his authorized representative.
36. ठेकेदार द्वारा तैनात व्यक्ति को अपनी निजी स्वच्छता बनाए रखनी होगी, उसे अनुशासित होना चाहिए और जनता के साथ उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध प्राप्त शिकायत को गंभीरता से लिया जाएगा, और इस संबंध में स्टेशन इंचार्ज का निर्णय अंतिम माना जाएगा।/The person deployed by the contractor must maintain personal hygiene ,shall be good in discipline and shall behave with public in good manner. Any complaint received against individual shall be viewed seriously and decision of the station in charge shall be final in his respect.
37. एजेंसी स्वच्छ वातावरण बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है, जिसके लिए नियमित सफाई कार्यक्रम बनाए रखने चाहिए। मेज और कुर्सियों जैसी सतहों को दिन में कम से कम दो बार कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। हर भोजन परोसने के बाद फर्श को

कीटाणुनाशक से पोंछा जाना चाहिए। काटने के तख्तों और काउंटरटॉप्स सहित भोजन के संपर्क में आने वाली सभी सतहों को हर काम के बाद साफ किया जाना चाहिए। कूड़ेदानों को नियमित रूप से खाली किया जाना चाहिए, उनमें लाइनर लगाए जाने चाहिए और दुर्गंध और कीटों को आकर्षित होने से रोकने के लिए उन्हें कीटाणुरहित किया जाना चाहिए। पानी की लाइनों, जल निकासी और वायरिंग का नियमित निरीक्षण रिसाव और आग के खतरों को रोकने में मदद करता है। थर्मोस्टेट और दरवाजों की गैस्केट की नियमित जांच भोजन को "खतरे वाले क्षेत्र" से दूर रखने के लिए आवश्यक है। चूहों या कीड़ों के संक्रमण को रोकने के लिए नियमित धूमन और नियमित निरीक्षण मानक हैं। संपत्ति के मूल्य और पेशेवर रूप को बनाए रखने के लिए दीवारों, खिड़कियों और ग्रिलों को नियमित रूप से साफ किया जाना चाहिए।/The agency is responsible for maintaining a sanitary environment through structured cleaning schedules like surfaces such as tables and chairs should be sanitized at least twice daily. Floors must be mopped with disinfectant after every service. All food contact surfaces, including cutting boards and countertops, must be cleaned after every task. Bins should be emptied regularly, used with liners, and disinfected to prevent odors and pest attraction. Regular inspections of water lines, drainage, and wiring help prevent leaks and fire hazards. Regular checks of thermostats and door gaskets are essential to keep food out of the "danger zone". Regular fumigation and regular inspections are standard to prevent infestations by rodents or insects. Walls, windows, and grills should be cleaned routinely to maintain the property's value and professional appearance.

38. ठेकेदार अपने कर्मचारियों को तभी काम पर लगाएगा, जब उसे निदेशालय से मंजूरी मिल जाए और वह उन कर्मचारियों का बायोडाटा (CV) विधिवत जमा कर दे। निदेशालय को कम से कम एक हफ्ता पहले इसकी सूचना दी जाएगी, और ठेकेदार को ऐसे सभी बदलावों के लिए, उनके CV के साथ, निदेशालय से मंजूरी लेना ज़रूरी होगा।/The contractor shall deploy his personnel only after obtaining the Directorates approval duly submitting curriculum vitae (CV) of these personnel, the Directorates shall be informed at least one week in advance and contractor shall be required to obtain the Directorate's approval for all such changes along with their CVs.
39. कैफ़ेटेरिया में काम पर लगाए गए व्यक्ति को ठेकेदार द्वारा उचित मज़दूरी दी जाएगी। "उचित मज़दूरी" का अर्थ है वह मज़दूरी जो केंद्र या राज्य सरकार द्वारा उस ज़िले के लिए निर्धारित की गई हो, जहाँ काम किया जा रहा है। भुगतान हर महीने की 5 तारीख को या उससे पहले किया जाएगा।/The fair wages shall be paid to the person deployed at cafeteria by the contractor. "Fair wage" means wage prescribed by the Central or State Govt. for the district in which the work is done. The payment shall be paid on or before 5th of every month.
40. ठेकेदार इस समझौते के तहत अपने किसी भी अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को सौंप या हस्तांतरित नहीं करेगा, और ठेकेदार या उसका अधिकृत प्रतिनिधि, काम के घंटों के दौरान कैफ़ेटेरिया की देखरेख और प्रबंधन करने के लिए कैफ़ेटेरिया में उपलब्ध रहेगा।/The Contractor shall not assign or transfer any of his rights under the agreement to any other persons and the Contractor or his/her authorized representative shall be made available in the cafeteria to supervise and manage the cafeteria during the working hours.
41. ठेकेदार, अनुबंध अवधि के दौरान श्रमिकों को होने वाली किसी भी दुर्घटना या क्षति के लिए ज़िम्मेदार होगा, और वह अपने स्वयं के खर्च पर ऐसी चोट या क्षति की भरपाई करेगा और उसे ठीक करेगा।/The contractor shall be responsible for any accidents or damages to the work's during the contract period and he shall restore and make good such injury at his own expense.
42. ठेकेदार अपने अधीन काम करने वाले मज़दूरों और उस क्षेत्र में या उसके आस-पास काम करने वाले किसी भी व्यक्ति की जान की सुरक्षा के लिए सभी एहतियाती और सुरक्षा उपाय करने के लिए ज़िम्मेदार होगा; साथ ही, अनुबंध की अवधि के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना और उन्हें किसी भी तरह का मुआवज़ा आदि देने के लिए भी ठेकेदार ही ज़िम्मेदार होगा।/The contractor shall be responsible for taking all the precautionary and safety measures for lives of the workers working under him and any person working in and around the area and the contractor shall be responsible for any mis-happening during the term of the contract and payment of any compensation etc., to them.

43. हर उस मामले में, जिसमें 'वर्कमेन कंपनसेशन एक्ट, 1923' की धारा 12, उप-धारा 1 के प्रावधानों के तहत, सरकार किसी ठेकेदार द्वारा काम पर रखे गए मजदूर को, काम के दौरान, मुआवज़ा देने के लिए बाध्य है, सरकार ठेकेदार से उस मुआवज़े की रकम वसूल करेगी; और ऐसा करते समय, उक्त एक्ट की धारा 12, उप-धारा 2 के तहत सरकार के अधिकारों पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। सरकार को यह आज़ादी होगी कि वह ऐसी रकम, या उसका कोई हिस्सा, ठेकेदार की 'अर्नेस्ट मनी' (बयाना), 'सिक्योरिटी डिपॉज़िट' (जमानत राशि), या सरकार की तरफ से ठेकेदार को दी जाने वाली किसी भी रकम में से काटकर वसूल कर ले। सरकार, उक्त एक्ट की धारा 12, उप-धारा 1 के तहत अपने खिलाफ़ किए गए किसी भी दावे का विरोध करने के लिए बाध्य नहीं होगी; सिवाय तब जब ठेकेदार लिखित में ऐसा अनुरोध करे, और साथ ही सरकार को इस बात की गारंटी दे कि ऐसे दावे का विरोध करने के परिणामस्वरूप सरकार पर जो भी देनदारी आ सकती है, उसकी जिम्मेदारी ठेकेदार लेगा।/In every case in which by virtue of provisions of section 12, sub-section 1 of the workmen' compensation Act, 1923, Government is obliged to pay compensation to a workman employed by the contractor, in execution of the work, Government will recover from the contractor of the amount of compensation so paid and without prejudice to the rights of Government under Section 12 sub-section 2 of the said Act. Government shall be at liberty to recover such amount or any part thereof by deducting it from his eamest money, security deposit or from any sum due by Government to the contractor. Government shall not be bound to contest any claim made against it under section 12, sub- section 1 of the said Act except on the written request of the contractor and upon his giving to Government might become liable in consequence of contest of such a claim.
44. जब भी इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत या इसके कारण कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ किसी रकम के भुगतान का कोई दावा उठता है, तो भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार होगा कि वे डायरेक्टर के पास जमा सिक्योरिटी डिपॉज़िट की रकम में से, आंशिक या पूर्ण रूप से, उस रकम को काटकर वसूल कर लें। यदि सिक्योरिटी डिपॉज़िट की रकम कम पड़ती है, तो बाकी बची रकम या कुल वसूली योग्य रकम (जैसा भी मामला हो) को, उस किसी भी रकम में से काट लिया जाएगा जो उस समय कॉन्ट्रैक्टर को मिलनी बाकी है, या जो इस कॉन्ट्रैक्ट या भारत के राष्ट्रपति के साथ किसी अन्य कॉन्ट्रैक्ट के तहत भविष्य में कभी भी उसे मिलनी बाकी हो सकती है। यदि यह रकम, वसूली योग्य पूरी रकम को चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं होती है, तो कॉन्ट्रैक्टर को मांग किए जाने पर, भारत के राष्ट्रपति को बाकी बची बकाया रकम का भुगतान करना होगा।/Whenever any claim for the payment of a sum of money arises out of or under this contract against the contractor, the Directorate shall be entitled to recover such sum by appropriating, in part or whole. from the amount of the security deposit, lying with the director. In the event of the security deposit being insufficient then the balance or the total sum recoverable as the case may be, shall be deducted from any sum then due or which at any time thereafter may become due to the contractor under this or any other contract with the Directorate. Should this sum be not sufficient to cover the full amount recoverable the contractor shall pay to the President of India on demand the remaining balance due.
45. निदेशालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का बार-बार उल्लंघन किए जाने की स्थिति में, सरकार के सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार सुरक्षा जमा राशि को सरकारी खाते में ज़ब्त करने के बाद अनुबंध समाप्त कर दिया जाएगा।/In case of repeated violations of the guidelines issued by the directorate, the contract shall be terminated after forfeiting the security deposit to the government account as per the general guidelines of government.
46. ठेकेदार को प्लास्टिक/पॉलिथीन के थैलों, कपों और ऐसी अन्य चीज़ों का उपयोग नहीं करना चाहिए, जो लागू सरकारी नियमों के विरुद्ध हों, पर्यावरण के लिए हानिकारक हों, या सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रतिबंधित हों।/ The contractor should not use plastic/polythene bags, cups and other such things etc., which are against the Govt. rules in force /harmful to the environment/ banned by Govt. Authorities.
47. कैफ़ेटेरिया के अंदर, कीमतों के साथ चीज़ों की सूची प्रमुखता से प्रदर्शित की जानी चाहिए।/The menu of items with price should be displayed prominently inside the cafeteria.

48. कचरा, खाली बोतलें और अन्य अपशिष्ट जमा करने तथा उनके उचित निपटान को सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाएँगे। Adequate dust bins shall be provided for collecting garbage empty bottles and any other waste and ensuring proper disposal.
49. सफल बोली लगाने वाले को सभी संबंधित श्रम अधिनियमों और कानूनों का पालन करना होगा, और उसके द्वारा काम पर लगाए गए श्रमिकों की सुरक्षा की पूरी ज़िम्मेदारी उसी की होगी। बोली लगाने वाले द्वारा काम पर लगाए गए व्यक्तियों को किसी भी प्रकार की चोट लगने या जान-माल के नुकसान के किसी भी दावे के लिए विभाग को ज़िम्मेदार नहीं ठहराया जाएगा।/The successful bidder has to fulfil all relevant labour act & laws and fully responsible for the safety of labourers engaged by you. The department will not be held responsible for any claim for injuries or loss of life, what so ever for the persons engaged by the bidder.
50. ठेकेदार स्थानीय और अन्य अधिकारियों द्वारा लगाए गए किसी भी शुल्क, कर आदि का भुगतान करने के लिए भी उत्तरदायी होगा। उसे कैटीन चलाने के लिए केरल सरकार/भारत सरकार के संबंधित अधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त/नवीनीकृत करना होगा, और सक्षम प्राधिकारी द्वारा निरीक्षण के लिए, पूरी अनुबंध अवधि के दौरान कैफ़ेटेरिया में वैध लाइसेंस प्रदर्शित किया जाना चाहिए। /The Contractor shall also be liable to pay any fees, taxes, etc., levied by the local and other authorities. He/she should obtain/renew the license for running the cafeteria from the appropriate authorities of the Government of Kerala/Govt. of India, and the valid license should be exhibited in the cafeteria during the entire contract period for inspection by the competent authority.
51. FSS रेगुलेशन के अनुसार, परिसर में FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाना अनिवार्य है। FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाने की मौजूदा अनिवार्य शर्त के अलावा, Food Business Operators (FBO) के लिए अपने परिसर में रेस्टोरेंट के लिए 'Food Safety Display Board' दिखाना भी अनिवार्य होगा। इसलिए, कॉन्ट्रैक्टर को टेंडर मिलने की तारीख से एक महीने के भीतर, कैफ़ेटेरिया बिल्डिंग में FSSAI लाइसेंस/रजिस्ट्रेशन नंबर और रेस्टोरेंट के लिए 'Food Safety Display Board' दिखाना अनिवार्य होगा।/As per the FSS Regulation, there is a mandatory requirement of displaying FSSAI License/Registration Number at premises. In addition to the existing mandatory requirement of displaying FSSAI License/ Registration Number, it will also be mandatory for Food Business Operators (FBO) to display the Food Safety Display Board for the restaurant at Food Business Operators (FBO) premise. Hence, the contractor must display FSSAI License/Registration Number and Food Safety Display Board for the restaurant at the cafeteria building within one month from the date of award of the tender, mandatorily.
52. निदेशक, दीपस्तंभ और दीपपोत निदेशालय, कोचीनके पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि ठेकेदार अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुसार काम करता हुआ नहीं पाया जाता है, तो वह अनुबंध को समाप्त कर सकता है; और ठेकेदार, अनुबंध की वास्तविक समाप्ति की तारीख तक की अवधि के दौरान अनुबंध के किसी भी नियम या शर्त के उल्लंघन के कारण विभाग को हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए उत्तरदायी होगा।/The Director, Directorate of Lighthouses and Lightships, Cochin reserves the right to terminate the contract if the contractor is found not working according to the terms and conditions, and he will be liable to make good of the losses to the department due to the breach of any of the terms and conditions of the contract for the period up to the date of actual termination of the contract.
53. मुहरबंद कोटेशन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज़ जमा करना आवश्यक है। /The following documents are required to be submitted along with sealed quotation:
- 1) NSIC/MSME पंजीकरण प्रमाण पत्र या EMD /NSIC/MSME registration certificate or EMD.
  - 2) पैन कार्ड की प्रति/Copy of PAN card.
  - 3) GST पंजीकरण प्रमाण पत्र की प्रति/Copy of GST Registration Certificate.

- 4) कैफ़ेटेरिया संचालित करने के लिए FSSAI से प्राप्त वैध परमिट/लाइसेंस की प्रति /Copy of valid permit/License from FSSAI to operate cafeteria.
- 5) फर्म/व्यक्ति की दुकान की प्रति, जो 'दुकान और स्थापना अधिनियम' के तहत पंजीकृत है।/Copy of Firm/person's shop Registered under shop and establishment act

कैफ़ेटेरिया में बिक्री के लिए अनुमत वस्तुओं की सूची/List of items permitted to sale in cafeteria.

- चाय कॉफी/Tea/coffee
- मिनरल वॉटर/Mineral water
- शीतल पेय/Soft drinks
- कच्चा नारियल/Tender coconut
- पॉपकॉर्न / आइसक्रीम/Popcorn/ Ice creams
- स्नैक्स - स्थानीय रूप से निर्मित/Snacks - Local made
- बिस्किट/चिप्स/चॉकलेट के आइटम /Biscuits/ chips/Chocolates items.
- ताज़ा जूस और शेक्स/Fresh juice and Shakes
- फल/Fruits

Digitally signed by  
Anil Antony  
Date: 10-04-2026  
16:22:02

बोलीकर्ता /Sign. Of Bidder

निदेशक / Director


**अनुसूचि / SCHEDULE**

कार्य का नाम / Name of Work :- विझिंजम दीपस्तंभ में कैफेटेरिया का संचालन और रखरखाव / **Operation and maintenance of Cafeteria at Vizhinjam Lighthouse**

क्रम सं. S. No.	वस्तु का विवरण Description of items	मात्रा Qty	रेट Rate	यूनिट Unit	रकम Amount in ₹
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)=(cxd)
1	License fees for operating Cafeteria in the building constructed in the Lighthouse premises of Vizhinjam Lighthouse, Thiruvananthapuram district as per the standard operational procedure annexed in the quotation.				
I	Payment shall be made to the Directorate for 1 <sup>st</sup> term of the period from 01.06.2026 (first eleven months)	11	Rs. ----- (Rupees----- -----only	Per month	
II	Payment shall be made to the Directorate for the second term (for 11 months) (subjected to minimum increase of 5% on first term monthly license fees)	11	Rs. ----- (Rupees----- -----only	Per month	
III	Payment shall be made to the Directorate for the period from Third term (for 11 months) (subjected to minimum increase of 5% on first term monthly license fees)	11	Rs. ----- (Rupees----- -----only	Per month	

Total Amount:

बोलीकर्ता / BIDDER

  
 निदेशक / DIRECTOR